Joint Committee Inspection Report

In the Matter of

Original Application No.55/2022
'Rakesh AroraVs State of Madhya Pradesh & Ors'

w.r.to

Hon`ble National Green Tribunal Central Bench Bhopal
order dated 20th July, 2022

Date of Visit: 17th August, 2022
Location: Mungaoli, Distt. Ashok Nagar (MP)

Scanned with CamScanner

Joint Committee Inspection Report in the matter of 'Rakesh Arora Vs State of Madhya Pradesh & Ors'

Hon'ble NGT (CZ), Bhopal vide its order dated 20th July, 2022 in OA no. 55/2022 'Rakesh Arora Vs State of Madhya Pradesh & Ors' directed as under vide para 1, 6 and 7 :-

> 1. *The grievances of the applicant is non-compliance of the citing criteria as prescribed by the Central Pollution Control Board and MoEF& CC and conditions for NOC granted by the Town and Country Planning and PWD department for establishment / construction of petrol pump by respondent causing environmental degradation and harm likely to be caused to the water body (lake) namely Jail Talab situated in the Kasbarenj village of Tehsil Mungaoli of District Ashok Nagar, Madhya Pradesh.*
>
> 6. *We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-*
>   *i. District Collector, Ashok Nagar, M.P.*
>   *ii. One representative from Central Pollution Control Board.*
>   *iii. One representative from Madhya Pradesh Pollution Control Board.*
>   *iv. One representative from Reliance BP Mobility Limited (RBML) through Chief Divisional Manager.*
>
> 7. *The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.*

In compliance of the above direction, the joint committee visited Kasbarenj village of Tehsil Mungaoli of District Ashok Nagar, Madhya Pradesh on 17th August, 2022 to assess the factual status of allegation made in petition and compliance status of CPCB guidelines w.r.to siting criteria and other environmental safeguards.

Scanned with CamScanner

The Committee was directed to ascertain verification of the violations regarding the siting criteria as alleged in the application and also whether such activity is permissible in that area as per the guidelines and submit the report to the Hon'ble Tribunal on or before 01.09.2022. The joint committee constituted comprising of the following officers:

1. Sh. Pratham Kaushik, SDM Mungaoli Distt. Ashok Nagar
2. Dr. Anoop Chaturvedi, Scientist 'B' Regional Directorate, CPCB, Bhopal
3. Sh. Sudhanshu Tiwari District Environment Officer, M.P. Pollution Control Board, Guna
4. Sh. Ayaz Qureshi, SBDM- MP as representative of Reliance BP Mobility Limited, Bhopal

Attendance list of the Joint Committee members is enclosed as Annexure-**I**.

Previous complaints and court case in the same matter: During the inspection and interaction with the project proponent and officials of local adminstration, it has come to the knowledge that the same type of complaint was received in various time intervals. The chronology of the earlier complaints and its disposal as given below :

1. Sh Rakesh Kumar Arora submitted the written complaint to collector office at Ashoknagar in January 2022 regarding irregularity of land record of survey no. 435 and 416 and request for enquiry. In furtherance of the same Tahsildar, Mungaoli carried out inspection in presence of applicant and submitted the report on dated 31.1.2022. According to report there is no irregularity in land record and all the allegation made by the applicant is baseless. The complaint and inspection report enclose as Annexure-**II.**

2. Sh Rakesh Kumar Arora again submitted the written complaint to the office of the Chief Minister, MP in February, 2022 on the same matter and requested another enquiry. In furtherance of the matter Tahsildar, Mungaoli carried out another inspection and submitted the report to Collector on dated 15.7.2022 and again inspection report state that there is no irregularity in land record and nothing objectionable was observed. The report also states that in spite of calling, the complainant was willfully not reaching the site and it seems it is business competition between them. The complaint and inspection report enclose as Annexure-**III**

Scanned with CamScanner

3. A local resident Sh Manoj Kumar Namdev also filed a case on 12.4.2022 before Hon'ble NGT Central Bench, Bhopal through OA No. 29/2022 "Manoj Kumar Namdev Vs M P Government and Ors" regarding siting criteria of the petrol pump on same matter but after three hearing applicant withdraw the case on 4.7.2022. The application of withdrawl is enclosed as Annexure-**IV**.

Back Ground of present case in brief:

The present OA.No.55/2022 has been filed before the Hon'ble NGT by Shri. Rakesh Arora and others, grievance is regarding the Establishment of a petrol pump near the water body in Mungaoli (Jail Talab) and residential area which is alleged to be against norms provided by the Central Pollution Control Board.

To better coordination in the investigation, the applicant Shri. Rakesh Arora had been contacted on his mobile before the inspection and requested to accompany the visit and show the locations and points of violations as mentioned in the petition but neither he nor his representative was present at the spot during the committee visit. The relevant issue also discussed with Sh. Aziz Khan Project Proponent of the petrol pump.

The main issues raised in the petition by the applicant are as given below:

1. Non-compliance of the citing criteria as prescribed by the Central Pollution Control Board especially distance from nearest residential colony and water body and i.e. Jail Talab.
2. Distance is inadequate from the center of the road as mentioned in NOC granted by PWD.

The committee made the following observation during site visit on the above mentioned issues:-

ISSUE 1 - Non-compliance of the citing criteria as prescribed by the Central Pollution Control Board especially distance from nearest water body i.e. Jail Talab.

It is humbly submitted that, as per CPCB guidelines for a petroleum outlet, the potential points for chances of pollution are, the position of fuel dispensing points, vent pipes and fill point. As per CPCB office memorandum

Scanned with CamScanner

dated 16.8.2021 *retail outlet shell not be located within the distance of 50 meter from the nearest water body. The retail outlet coming within 50 meter to 100 meter from the nearest point of water body shell have secondary containment by way of double walled tanks or concrete protection walls around Underground Storage Tank.*

It is submitted further that, the distance measurements were taken in the presence of the committee members and other officials, and the distances were confirmed. As informed by Tahsildar of area due to flood condition in the nearby area the present water of Jail Talab is near to maximum storage level. The geo-coordinate location of the proposed site was measured as follows:

Latitude –24.24'47.95°N

Longitude –78.05'31.61°E

As the mail contention of the petition is related to distance of petrol pump from nearest water body. To measure the distance with utmost accuracy the committee used digital as well as manual method. The Differential Global Positioning System (DGPS) is the latest technology used in land surveying equipment and same was used. It is the enhanced version of GPS.

The aerial distance measured manually from nearest edge of water body (Jail Talab) to nearest fuel Dispensing point and observed 52.00 meter. At the same point distance measured by specific instrument i.e. DGPS machine at two points and measured distance was observed 51.1191 meter and 55.7770 meter. The report generated by DGPS machine is enclosed as Annexure-**V**

The Patwari of Halka No. 25 of district Mungaoli was also issued a certificated on 11.5.2022 regarding the distance of Jail Talab and proposed petrol pump and certified that the distance is 51.5 meter. The certificate is enclosed as Annexure-**VI**

It was observed that another three side of the proposed location in the 50 meter distance, there is no TNCP or Municipal Corporation approved residential area, school and hospital existed. Aforesaid location has obtained PESO approval on 9.11.2021 permission letter is enclosed as Annexure-**VII.** Google image of that period was verified, permanent structure was not there within the 50 mtr distance of the aforesaid retail outlet plot during that period. However, near West side of the project one commercial cum residential structure is under-construction. The location map of the proposed petroleum out

Scanned with CamScanner

let obtained from Google satellite map (Mar 2021) is produced herewith and marked as Annexure-**VIII**.

The land under question is 0.104 hectares which falls under the Khasra numbers 416/1/2 of Kasbarenj Taluka-Mungaoli Distt. Ashok Nagar and the land are possessed by Shri Aziz Khan. As informed by project proponent this project was initiated in August 2021 at that time no permanent structure was existed in 30 meter range from pollution potential points.

ISSUE 2 - Distance is inadequate from the centre of the road as mentioned in NOC granted by PWD.

It is humbly submitted that, during the site inspection, the proposed site was found to be filled and levelled with earth and boundary wall constructed around the proposed location. No construction activity was going on at the time of the inspection. MPPWD issued a revised NOC to proposed petrol pump on dated 20.5.2022 and mentioned that no permanent construction will be done in the 15 meter distance from the centre of the road. To verify the status distance was measured from centre of the road upto15 meter and no permanent construction was observed in this range. However, presently this road is not a part of any National and State Highway and just use as city service road. The revised NOC issued by MPPWD in this regard which is enclosed as Annexure-**IX.**

Recommendations and Conclusion

This Joint Committee respectfully submits that the distance from edge of the Jail Talab to potential points for chances of pollution (fuel dispensing points, vent pipe position and fill point) is above 50 meter as per CPCB guideline. There is no permanent construction observed within the 15 meter distance from centre of the road.

As the retail outlet comes under 50 meter to 100 meter range from the nearest point of water body hence to prevent any probable water contamination double walled tanks and additionally concrete protection walls around Underground Storage Tank must be provide.

The retail outlet may install a vapour recovery system as per CPCB guideline to reduce air pollution and also install an oil water separator system to prevent any probable water contamination caused by oil spillage or surface runoff.

Scanned with CamScanner

The committee is of the opinion that all the pollution prevention/control measures and leakage/spillage management as mentioned in the CPCB guidelines dated 07.01.2020 and 16.8.2021 shall be applicable and M/s. Reliance BP Mobility Limited has to strictly comply with them and has to take all efforts to alleviate the apprehensions of pollution control at the site. The project proponent may obtain all necessary permission from MPPCB at the earliest.

This Joint Committee also suggests that, the oil marketing company may review the site layout if necessary, so that maximum possible distance can be maintained between the water body and proposed petrol pump. It is also reiterated that additional safety measures if any prescribed by PESO shall be applicable in the case, apart from other conditions of CPCB guidelines. The concern authorities may keep constant vigil during the construction phase of petrol pump and ensure compliance the condition given in various permission and NOCs.

Sh. Pratham Kaushik, SDM Mungaoli on behalf of Collector Ashok Nagar

अनूप चतुर्वेदी

Dr. Anoop Chaturvedi, Scientist 'B' Regional Directorate, CPCB, Bhopal

Sh. Sudhanshu Tiwari District Environment Officer, M.P. Pollution Control Board, Guna

Sh. Ayaz Qureshi, SBDM- MP representative of Reliance BP Mobility Limited, Bhopal

Scanned with CamScanner

Photograph of the committee visit

Scanned with CamScanner

Distance measurement by DGPS machine and measuring tape.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Google photo of the site

Distance from Talab to fill point

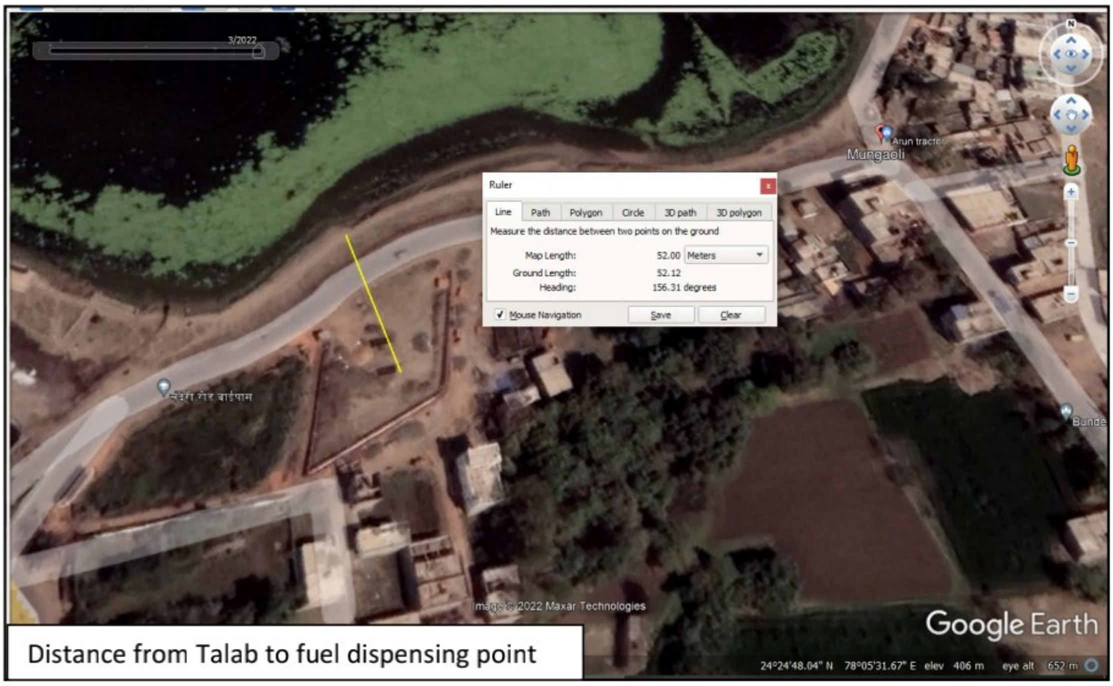

Distance from Talab to fuel dispensing point

Scanned with CamScanner

Attendance list of officer's inspection conducted on 17.08.2022 as per Hon'ble, NGT Order dated 20.07.2022 in the OA No.55 of 2022.

S.No.	Name and Designation	Sign
01	Pratham Kaushik SDM Mungaoli (in charge)	
02	Dr. Anoop Chaturvedi Scientist - B. CPCB, Bhopal	
03	Sudhanshu Tiwari District Environment officer MPPCB. Guna	
04	AYAZ Qureshi SBDM- M.P	
05	Dinesh Saneale Tehsildar Mungaoli	
06	[illegible]	
07		
08		
09		

Scanned with CamScanner

Annexure-I

SDO/Teh को भेजें।
नस्ती में संलग्न हो।
24/01/22

श्रीमान जिला आपूर्ति अधिकारी महोदय
कलेक्टर कार्यालय जिला अशोकनगर

विषय- मुंगावली कस्बा रेंज सर्वे नंबर 435/3 मि 1 एवं सर्वे नंबर 416 /1मि 1/2 रिलायंस बीपी मोबिलिटी पेट्रोल पंप अनुमति के संबंध में आपत्ति हेतु

महोदय

निवेदन है कि रिलायंस पेट्रोल पंप के संबंध में भूस्वामी श्री अजीज खाँ पुत्र श्री निहाल खाँ जमीदार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC हेतु आवेदन किया गया है जिसमें सर्वे नंबर 435/3 मि 1 का उल्लेख किया गया है निवेदन है कि उक्त भूमि की सर्वे नंबर की स्थिति में फेरबदल कर प्रस्तुत किया गया है क्योंकि इस सर्वे नंबर 435 मे मैं प्रार्थी एवं मेरे दोनों भाई श्री हरदीप अरोरा एवं श्री जितेंद्र अरोरा भी भागीदार हैं (रकवा 0.165 हेक्टेयर) जो कि सर्वे नंबर की स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ हैं एवं हमारे पास 1998 के प्रमाणित दस्तावेज हैं एवं 1985 का नक्शा अक्स प्रतिलिपि भी उपलब्ध है इस सर्वे नंबर के भाग को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है एवं मेन रोड से लगा हुआ दिखाया गया है मुंगावली कस्बा रेंज के पुराने नक्शे से मिलान कर जांच किए जाने की आवश्यकता है इसके अतिरिक्त इससे लग कर ही शासकीय तालाब की 9.40 बीघा जमीन एवं पार अन्य शासकीय जमीन शासकीय तालाब एवं नगर पालिका की जमीनें लगी हुई हैं अतः इस प्रकरण की पूर्ण जांच बारीकी से करवाने की आवश्यकता है एवं यदि किसी प्रकार की अनुमति दी गई है तो उस पर पुनर्विचार करने एवं जांच करवाने की कृपा करें जिससे की वास्तविक स्थिति सामने आ सके अतः विनम्र निवेदन है उक्त विषय में जांच होने तक उक्त संबंध में हो रहे निर्माण कार्य को रुकवाने की कृपा करें।

संलग्न
1. सन 1998 प्रमाणित दस्तावेज रकबा की भूमि सर्वे नं. 435 नक्शा अक्स सहित
2. नक्शा अक्स प्रमाणित सन 1985
3. सरकारी तालाब की पार सिंचाई विभाग सर्वे नं. 315
4. आवेदक द्वारा NOC हेतु प्रस्तुत नक्शा जिसमें त्रुटि है।

प्रार्थी

राकेश कुमार अरोरा
हरदीप कुमार अरोरा
स्टेशन रोड मुंगावली
98260 36629
98262-72068

Scanned with CamScanner

कार्यालय तहसीलदार तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर (मध्यप्रदेश)

tehsildarmungaowali@gmail.com

क/क्यू/री–1/2022/1469 मुंगावली दिनांक 31/1/2022

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय
(खादय शाखा)
जिला–अशोकनगर (म0प्र0)

विषयः–डीजल पेट्रोल पम्प स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।
संदर्भः–श्रीमान प्रभारी अधि0 महो0 खादय शाखा अशोकनगर के पत्र क–क्यू/ री–2/2022/37 दि–25.1.22 के संबंध में।

——000——

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के पालन में रिलायंस बी0पी0मोबिलिटी लिमिटेड भोपाल द्वारा कस्बारेंज मुंगावली तहसील मुंगावली की स्थापना के संबंध में प्राप्त आपत्ति की सुनवाई कर प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत के साथ एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र तीन दिवस में चाहा गया था।

उक्त निर्देशानुसार पटवारी ग्राम–कस्बारेंज मुंगावली से रिपोर्ट ली गयी हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त सेहराई एवं मुगावली के द्वारा संयुक्त रुप से प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमाक–416 एवं सर्वे नम्वर–435 की मोका स्थल जांच की गई। जॉच दौरान गठित दल के साथ मोके पर शिकायतकर्तागण हरदीप अरोरा ,जितेन्द्र अरोरा ,राकेश अरोरा पुत्रगण श्रीराम अरोरा एवं अनावेदक अजीज खॉ पुत्र निहाल खॉ तथा मौके पर पंचान पडोसी भू–खण्डधारी रामप्रसाद पुत्र नोनितराम उर्फ नोनिता कुश्वाह भी उपस्थित हुये और भूमि सर्वे कमंक–416 एवं 435/1, 435/2 ,435/3 की मौका जॉच राजस्व अभिलेख नक्सा एवं खसरा के मान से मौके कि स्थल जॉच की गयी। जॉच के दौरान पाया गया कि सर्वे क–416 एवं 435 कि सीमायें मौंके एवं अभिलेख के मान से सही पाई गयी एव मौका मिलान अभिलेख एवं कब्जे के आधार पर किसी प्रकार की भिन्नता नही पाई गई। शिकायतकर्तागण जॉच के दौरान मौके पर उपस्थित रहे लेकिन पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया। आवेदक का सर्वे कमाक– 416/1मि1/2मि3 जो कि जेल टेंक रोड से लगा हुआ है एवं उक्त सर्वे कमांक 435/3मि1 आवेदक के सर्वे कमाक 416/1मि1/2मि3 लगा हुआ है ।

उक्त पटवारी रिपोर्ट एवं राजस्व निरीक्षक रपोर्ट एवं पंचनामा के अनुसार आपत्तिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निराधार है।

अतः पटवारी /राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर मेप अनुसार उक्त भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुशंषा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान की और सादर प्रेषित हैं।
सलग्न – दल द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन एवं पंचनामा।

31/1/22
तहसीलदार
तहसील–मुंगावली

प्रतिलिपि :–
1. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय अनुविभाग मुगावली की और सादर सूचनार्थ।

31/1/22
तहसीलदार
तहसील–मुंगावली

Scanned with CamScanner

Annexure-III

आवक क्र. 832 / मु.मं.नि. / 22
दिनांक 28/2/2022

श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय
मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय कलेक्टर जिला अशोकनगर
शाखा ...S.C.II...
03 MAR 2022

प्रदीप कुमार शर्मा
निज सहायक मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश शासन

विषय: शासकीय तालाब की जमीन में अतिक्रमण कर तहसील मुंगावली कस्बा रेंज जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश सर्वे नंबर 416 /1मि 1/2 एव सर्वे नंबर 435/3मि1 रिलायंस बीपी मोबिलिटी पेट्रोल पंप के निर्माण के संबंध में

महोदय

निवेदन है कि रिलायंस बीपी पेट्रोल पंप के संबंध में भूस्वामी श्री अजीज खाँ पुत्र श्री निहाल खाँ जमींदार द्वारा स्वयं अथवा अपने परिजन हेतु आवेदन किया गया है जिसमें तहसील मुंगावली कस्बा रेंज जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश सर्वे नंबर 416/1/मि 1.2 एवं 435/3मि 1का उल्लेख किया गया है एवं इस संबंध मे उनके द्वारा रिलायंस कंपनी से LOI प्राप्त कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य शुरु कर दिया गया है यह पूरी तरह से शासकीय तालाब की पार वाली जमीन मे अतिक्रमण है आसपास के सभी निवासी एवं पूर्व के सभी पटवारी भी इस बात को भलीभांति जानते हैं निवेदन है दर्शाए गए सर्वे नंबर 416 में भूस्वामी ने विक्रेता राम प्रसाद से इस सर्वे नंबर की भूमि की कुल 3 रजिस्ट्री करवाई है जिन का कुल क्षेत्रफल 31300 स्क्वायर फिट है एवं भूस्वामी इस सर्वे नंबर लगभग 48 से 50 हजार स्क्वायर फीट जमीन पर काबिज है जो कि सरकारी तालाब की पार की शासकीय जमीन में अतिक्रमण की आशंका को जाहिर करता है मौके पर पेट्रोल पंप के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे जमीन के सर्वे नंबर में अंतर है दस्तावेज गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं पेट्रोल पंप की ड्राइंग में नक्शे में पेट्रोल पंप को सर्वे नंबर 435 /मि 1 का सर्वे नंबर 416/1मि 1 के ठीक पीछे 45 मीटर लंबाई में दिखाया गया है जो कि मौके पर बिल्कुल भी सही नहीं है निम्न बिंदुओं के अनुसार जांच होना आवश्यक है

1. सर्वे नंबर 416 में भूस्वामी की पूरी जमीन की नपती होना अति आवश्यक है क्योंकि भूस्वामी खरीदी हुई जमीन से काफी ज्यादा जमीन पर काबिज है जो कि शासकीय तालाब के पार की जमीन है क्योंकि इसी से लगी हुई सर्वे नंबर 215 सरकारी तालाब की पार 9.40 हेक्टेयर जमीन सिंचाई विभाग की है सड़क से भूस्वामी की जमीन की तरफ जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा शासकीय तालाब की पार का है सर्वे नंबर 416 में शासकीय तालाब की की पार वाली जमीन के अतिक्रमण की पूरी आशंका है
2. सर्वे नंबर 435 /3मि 1 की स्थिति की भी जांच हो
3. शासकीय तालाब की पार सर्वे नंबर 215 जहां अब सड़क है उस में अतिक्रमण की आशंका है
4. [illegible] पेट्रोल पंप निर्माण हेतु दस्तावेजों में दर्शाया गया मौका सही नहीं है कंपनी को जो पंप हेतु स्थान दर्शाया गया है उसमें [illegible] के ठीक पीछे 150 फुट लंबाई सर्वे नंबर 435 की दिखाई गई है जो कि संभव नहीं है
5. इस [illegible] स्तर पर न होकर डॉ. जिले से कराई जाए
6. भूस्वामी [illegible] 416 में विक्रेता रामप्रसाद से लगभग 31300 स्क्वायर फीट (0.052h+0.104h +0.135h) जमीन खरीदी है लेकिन [illegible] 48 से 50 हजार स्क्वायर फीट जमीन पर काबिज है इसमें से 13000 स्क्वायर फीट जमीन वह बेच भी चुका [illegible] जमीन शेष बचना चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा जमीन लगभग 15-17 हजार स्क्वायर फीट अतिरिक्त जमीन [illegible] है एवं इस जमीन को वह अपने पीछे वाले सर्वे नंबर 435 /3मि 1का दर्शाने की कोशिश कर रहा है जो शासकीय [illegible] अतिक्रमण होने की आशंका को दर्शाता है
7. [illegible] 53 फुट फ्रंट भूस्वामी बेच चुका है

हमारे द्वारा [illegible] में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसमे कलेक्टर महोदय ने जाच का आदेश दिया था जिसमे तहसीलदार महोदय [illegible] थी लेकिन मौके पर जब नपती की बात आई तो भूस्वामी ने हमें अलग ले जाकर हम से निवेदन किया कि उसके पंप निर्माण का मौका सही नहीं है और उसने नपती को टालने की कोशिश की और सफल भी हुआ अतः विनम्र निवेदन है कि [illegible] संबंध में पूर्ण जांच करके ही आगे की प्रक्रिया को किया जाए एवं वर्तमान मे चल रहे निर्माण कार्य को रोकने की आवश्यकता है

धन्यवाद

तहसीलदार मुंगावली
95
07/03/22

सादर निवेदक
जितेन्द्र कुमार अरोरा
9425408006
8085334955

Scanned with CamScanner

कार्यालय तहसीलदार मुंगावली तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर म.प्र.

कमांक/क्यू/री.1/2022-23/183(1) मुंगावली दिनांक - 15/7/2022

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय,
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

विषय :- शासकीय तालाब की जमीन में अतिकमण कर तहसील मुंगावली ग्राम कस्वारेंज जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश स्थित भूमि सर्वे न. 416/1मि.1/2 एवं सर्वेन. 435/3मि.1 में रिलायस बीपी मोवीलिटी पेट्रोल पम्प के निमार्ण के संबंध में ।

संदर्भ - श्रीमानजी के पत्र कमांक 832/22 दिनांक 28.02.2022 के पालन में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है, कि शिकायतकर्त्ता जितेन्द्रकुमार पुत्र श्रीराम अरोरा निवासी मुंगावली जिला अशोकगनर मध्यप्रदेश के द्वारा शिकायत की गई है शासकीय तालाब की जमीन में अतिकमण कर तहसील मुंगावली ग्राम कस्वारेंज जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश स्थित भूमि सर्वे न. 416/1मि. 1/2 एवं सर्वेन 435/3मि.1 में रिलायस पेट्रोल पम्प के निमार्ण किया जा रहा है उक्त संबंध में राजस्व निरीक्षक वृत्त मुंगावली एवं पटवारी ग्राम के द्वारा मौका स्थल पर जाकर जांच की गइ। राजस्व निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन अनुसार पेट्रोल पम्प का निमार्ण तालाब की पार पर न किया जाकर भूमि सर्वे न. 416/1/1/2/2 रकवा 0.104 है0 एवं सर्वे कमांक 435/3/1 रकबा 0.288 है0 भूमि के भूभाग पर किया जा रहा तथा निर्माण कार्य रोड से छोडकर किया जा रहा है । बायपास रोड तालाब की पार से लगकर बना हुआ है।

शिकायत के संबंध मे राजस्व निरीक्षक एवं हल्का उपटवारी द्वारा जांच कर निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की गई है

<u>शिकायत बिन्दु कमांक -1.</u> सर्वे न. 416 में भूमिस्वामी की पूरी जमीन की नपती होना अति आवश्यक है क्योंकि भूमिस्वामी खरीदी हुई जमीन से कॉफी ज्यादा जमीन पर काबिज है जो कि शासकीय तालाब के पार की जमीन है क्योकि इसी से लगी हुई सर्वे न. 215 सरकारी तालाब की पार 9.40 बीघा जमीन सिंचाई विभाग की है सडक से भूमिस्वामी की जमीन की तरफ जमीन का एक बहुत बडा हिस्सा शासकीय तालाब की पार का है सर्वे न. 416 में शासकीय तालाब की पार वाली जमीन के अतिकमण की पूरी आशंका है -

<u>जांच मे पाये गये तथ्य</u> - **भूमि खसरा नंबर** 416 का संपूर्ण रकवा भूस्वामी के नाम दर्ज नही है अपितु भूस्वामी अजीजखां पुत्र निहाल खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम के नाम सर्वे नंबर 416/1/1/2/2 मेसे रकबा 0.052 है0, सर्वे नंबर 416/1/1/2/1/1/1/2 रकवा 0.135 हे., सर्वे नंबर 416/1/1/2/2 रकवा 0. 104 हे. कय की गई है जिसका पूर्व मे मौका जांच किया गया था भूस्वामी रकवानुसार काबिज है अधिक भूमि पर काविज नही है । वर्तमान में भी यही स्थिति है । खसरा न. 215 शासकीय तालाब दर्ज है । तालाब या तालाब पार की भूमि पर अजीज खां का कब्जा नही पाया गया ।

तहसीलदार
तहसील मुंगावली
जिला-अशोकनगर

15

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

...यत बिन्दु कमांक –2. – सर्वे न. 435/3मि.1 की स्थिति की भी जांच हो –

जांच मे पाये गये तथ्य – सर्वेन. 435 में कुछ आवासीय प्लांट एवं शिकायतकर्त्ता के संयुक्त खाते की भूमि है जो मौके पर खाली है उससे लगकर सर्वे नंबर 435 में कुछ अन्य मकान बने हुये है । एवं सर्वे न. 435/3/1 रकवा 0.288 हेक्ट. है जिसमे अजीजखां पुत्र निहाल खां जाति मुसलमान के नाम शेष रकवा 0.188 हे खसरा अभिलेख राजस्व रिकार्ड में है ।

शिकायत बिन्दु कमांक – 3. – शासकीय तालाब की पार सर्वे न. 215 जहां अब सडक है उसमें अतिक्रमण की आशंका है ।

जांच मे पाये गये तथ्य – ग्राम कस्वारेंज मुंगावली के सर्वेन. 215 रकवा 1.881 हे. शासकीय तालाब पार है जिससे लगी हुई सडक की भूमि पर अतिकमण होना नहीं पाया गया ।

शिकायत बिन्दु कमांक –4. – नक्शा अनुसार पेट्रोल पम्प निमार्ण हेतु दस्तावेंज में दर्शाया गया मौका सही नहीं है कंपनी को जो पंप हेतु स्थान दर्शाया गया है उसमें सर्वे न. 416 के ठीक पीछे 150 फुट लंबाई सर्वे न. 435 की दिखाई गई है जो कि संभव नहीं है –

जांच मे पाये गये तथ्य – उक्त संबंध में मौका जांच में पाया गया कि सर्वे न. 416 की भूमि से लगकर सर्वे न. 435/3/1 भूमिस्वामी अजीजखां पुत्र निहाल खां जाति मुसलमान के नाम के नाम से दर्ज है । जिसके संबंध में अजीज द्वारा बताया गया कि मानचित्र के अनुसार पेट्रोल पंप निर्माण किया जा रहा है ।

शिकायत बिन्दु कमांक –5. – इसकी नपती स्थानीय स्तर पर न होकर एस.एल.आर जिले से कराई जाए –

जांच मे पाये गये तथ्य – आवेदक विधिवत SLR को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

शिकायत बिन्दु कमांक – 6. – भूमिस्वामी ने सर्वेन 416 में विकेता रामप्रसाद से लगभग 31300 स्क्वायर फीट (0.052 हे.,0.104 हे, 0.135 हे.) जमीन खरीदी है लेकिन मौके पर 48 से 50 स्क्वायर फीट जमीन पर काबिज है इसमें से 13000 स्क्वायर फीट जमीन वह बेच भी चुका है उसके बाद जो जमीन शेष बचना चाहिए थी उससे कही ज्यादा भूमि लगभग 15–17 हजार स्क्वायर फीट अतिरिक्त जमीन पर काबिज है एवं इस जमीन को वह अपने पीछे वाले सर्वे नंबर 435/3मिन1 का दर्शाने की कोशिश कर रहा है जो शासकीय जमीन में अतिकमण हाने की आशंका को दर्शाता है –

जांच मे पाये गये तथ्य – ग्राम कस्वारेंज मुंगावली में स्थित भूमि सर्वेन 416/1/1/2/1/1/1/2 रकवा 0.135 हे., सर्वे न. 416/1/1/2/2 रकवा 0.052 हे. 416/1/1/2/3 रकवा 0.104 हे. में अनावेदक अजीजखां पुत्र निहाल खां जाति मुसलमान के नाम पर वर्तमान खसरा अभिलेख में दर्ज है । अजीज खां वर्तमान अभिलेख अनुसार उसके नाम दर्ज खसरा रकवा अनुसार मौके पर काबिज है ।

शिकायत बिन्दु कमांक –7. – सर्वे नंबर 416 रोड साइड 53 फुट फंट भूमिस्वामी बेच चुका है –

तहसीलदार
तहसील-मुंगावली

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

जांच मे पाये गये तथ्य – सर्वे नंबर 416/1/1/2/1/1/1/2 रकवा 0.135 हेक्ट. विकेता के द्वारा भूखण्ड बेचे गये है । उक्त भूमि पेट्रोल पंप के निमार्ण में उपयोग में नहीं लाई गई है । उक्त भूमि निमार्णधीन पेट्रोल पंप उपयोग से भिन्न है ।

उपरोक्त अनुसार शिकायतकर्त्ता द्वारा की गई शिकायत मे उल्लेखित तथ्य राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी की जांच में प्रमाणित होना नहीं पाये गये । साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी दो वार आवेदक द्वारा उक्त आशय की शिकायत की जांच की जा चुकी है , जो कि पूर्व में की गई जांच में भी निराधार पायी गई राजस्व निरीक्षक ,पटवारी ग्राम द्वारा प्रस्तुत पंचनामा में यही भी स्पष्ट किया गया है कि जांच दौरान शिकायतकर्त्ता मौके पर बुलाने के बाद भी जांच दौरान उपस्थित नही रहते है , एवं पूर्व में भी दो वार शिकायत कर चुके है । साथ ही शिकायतकर्त्ता द्वारा स्वयं नजदीक में पेट्रोल पंप संचालित किया जा रहा है । जिससे प्रतिस्पर्धा के कारण शिकायत किया जाना प्रतीत हांता है ।

अतः शिकायत निराधार होने संबंध में वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमानजी की सादर प्रेषित है ।

संलग्न –

1. राजस्व निरीक्षक मुंगावली का जांच प्रतिवेदन सहपंचनामा ।
2. पूर्व में की गई जांच का प्रतिवेदन सहपंचनामा ।
3. मूल शिकायत संलग्न दस्तावेंज के साथ ।

15/2/22

तहसीलदार
तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर म.प्र.

17

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-IV

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL AT BHOPAL

Original Application No. 29/2022 (CZ)

PETITIONER SHRI MANOJ KUMAR NAMDEV

V/s

RESPONDENTS STATE OF M.P. & OTHERS

APPLICATION FOR WITHDRAWAL

The petitioner most humbly and respectfully begs to submit as under:-

That, the petitioner have filed the above petition against the respondents before this Hon'ble Court.

That, the petitioner now does not want to continue this petition and hence wants to withdraw the said petition against the respondents.

PRAYER

Therefore it is prayed by the petitioner that the said original application/ petition be ordered by the Hon'ble Court/ Tribunal to be dismissed with immediate effect.

PLACE: BHOPAL
DATE: ....

PETITIONER

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL AT BHOPAL

Original Application No. 29/2022 (CZ)

PETITIONER SHRI MANOJ KUMAR NAMDEV

V/s

RESPONDENTS STATE OF M.P. & OTHERS

AFFIDAVIT

I, Manoj Kumar Namdev S/o Shri Genda Lal Namdev Aged Adult, Resident of Madhya Pradesh do hereby solemnly affirms and states as under:

1. That, the petitioner have filed the a petition against the respondents before this Hon'ble Court having original application no. 29/2022(CZ).
2. That, the petitioner now does not want to take this petition to be continue and hence wants to withdraw the said petition against the respondents for which application for withdrawal is being submitted.
3. That all the contents of application for withdrawal are true and fair.
4. That nothing material have been concealed.
5. That this affidavit is submitted in support of the application for withdrawal.

DEPONENT

VERIFICATION

I, Manoj Kumar Namdev S/o Shri Genda Lal Namdev Aged Adult, Resident of Madhya Pradesh do hereby verify that the contents of this affidavit from para no. 1 to para no. 5 are true and fair to the best of my belief and knowledge.
Signed and Verified here at Bhopal on this ...... day of April 2022.

DEPONENT

19

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

DGPS

Annexure - V

mungawali plot final.dwg

Type of file: DWG File (.dwg)

Opens with: AutoCAD Application | Change...

Location: C:\Users\HP\Desktop\mungaoli

Size: 326 KB (334,036 bytes)

Size on disk: 328 KB (335,872 bytes)

Created: 17 August, 2022, 4:39:01 PM

Modified: 17 August, 2022, 4:39:01 PM

Accessed: 17 August, 2022, 4:39:01 PM

Attributes: Read-only Hidden | Advanced...

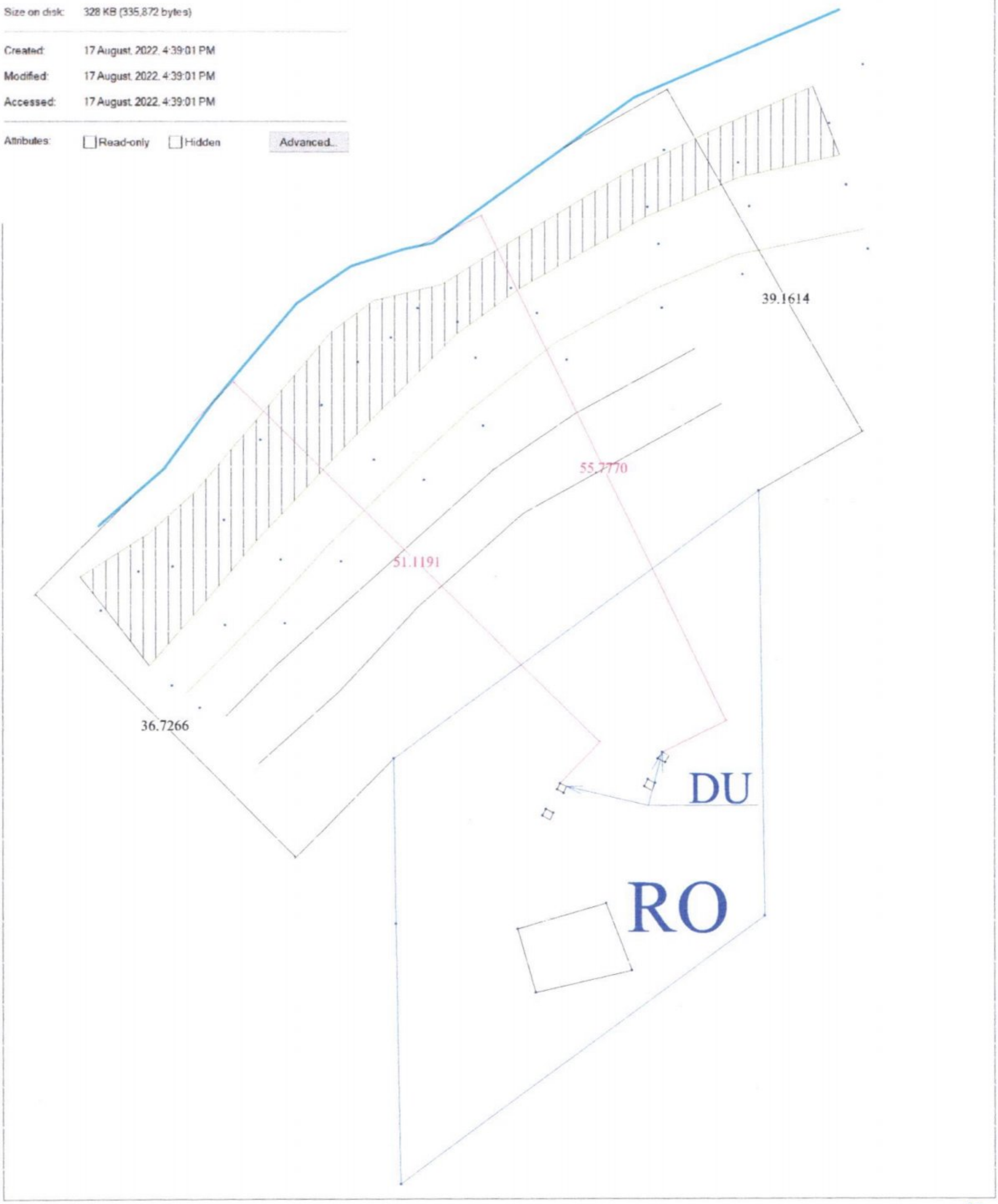

Scanned with CamScanner

Annexure-VI

– प्रमाणीकरण –

प्रमाणित किया जाता है रिलायंस कंपनी के पेट्रोल पम्प का निमार्ण कार्य जेल टेंक रोड तालाब बायपास पर किया जा रहा है आज दिनांक 11.05.2022 को रिलायंस पेट्रोल पम्प के भूमिगत निमार्ण कार्य से जेल तालाब के जल भराव की दूरी 51.5 मीटर है ।

P.H.N. 25
11/05/2022
अवधेश ... पटवार
पटवारी ह.नं. 25
तहसील - मुलताई

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-VII

Print Back

भारत सरकार
Government of India
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce & Industry
पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पैसो)
Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)

ई - 7/77, द्वितीय तल, लाला लाजपत राय सोसाइटी, 12 नंबर बस स्टॉप के पास, अरेरा कालोनी
भोपाल- 462016
E - 7/77, IInd Floor, Lala Lajpat Rai Society, Near 12 No. Bus Stop, Arera Colony,
Bhopal - 462016

E-mail : **dyccebhopal@explosives.gov.in**
Phone/Fax No : **(0755)**
2445270/2420775/4293966 FAX 2429997

पुर्व अनुमोदन संख्या /Prior Approval No : A/P/CB/MP/14/10710 (P519426)

दिनांक /Dated : **09/11/2021**

सेवा में
/To,

M/s. Reliance BP Mobility Limited,
3rd Floor, DB City Mall, MP Nagar Arera Hills,
Taluka: Bhopal,
District: BHOPAL
State: Madhya Pradesh
PIN: 462011

विषय /Sub : **Khasra No, 416/1/1/2/3, 435/3/1S,, SH2 Chanderi to Ashok nagar Road, Kasbarenj,, Mungaoli, Taluka: Mungaoli, District: ASHOK NAGAR, State: Madhya Pradesh, PIN: 473443** में प्रस्तावित पेट्रोलियम वर्ग A,B Retail Outlet I

Proposed Petroleum Class **A,B Retail Outlet** at **Khasra No, 416/1/1/2/3, 435/3/1S,, SH2 Chanderi to Ashok nagar Road, Kasbarenj,, Mungaoli, Taluka: Mungaoli, District: ASHOK NAGAR, State: Madhya Pradesh, PIN: 473443**

महोदय
/Sir(s),

कृपया आपके उपर्युक्त विषय से संबंधित पत्र संख्या **OIN904245** दिनांक **22/10/2021** का संदर्भ ग्रहण करें ।

Please refer to your letter No. **OIN904245** dated **22/10/2021** on the subject.

संदर्भित पत्र के साथ अग्रेषित उपर्युक्तन अधिष्ठापन का साइट (स्थतल)/ले-आउट, आदि दर्शाता Drawing(s) nos. **MPF259-D2-F00-P3-5603-00** dated **29/09/2021**, **MPF259-D2-F00-P3-5603-00** dated **29/09/2021** को अनुमोदित किया जाता है तथा प्रत्येक आरेखण की एक प्रति विधिवत पृष्ठांकित कर लौटाई जा रही है ।

The Drawing(s) nos. **MPF259-D2-F00-P3-5603-00** dated **29/09/2021**, **MPF259-D2-F00-P3-5603-00** dated **29/09/2021** , showing the site/layout/construction details forwarded with your letter under reference is approved and a copy(of each) of the same is returned herewith duly signed in token of approval.

अनुमोदित प्लान के अनुसार निर्माण होने के पश्चात पेट्रोलियम नियम 2002 के अंतर्गत प्ररूप XIV में अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु, कृपया निम्नलिखित दस्तावेज इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

On completion of the construction as shown in the approved plan please forward the following documents for grant of licence in Form XIV of the Petroleum Rules, 2002.

Scanned with CamScanner

1. प्ररूप IX (संलग्न) में विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन ।
   Form IX (enclosed) duly filled in and signed.
2. पेट्रोलियम नियम 2002 के तहत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध ई-भुगतान सुविधा के माध्यम से **10000/-** (प्रति वर्ष–अधिकतम 10 वर्ष तक) का लाइसेंस शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाना है ।
   A license fee of Rs. **10000/-** (per year - maximum upto 10 years) to be submitted online through e-payment facility available on online application portal under petroleum Rules, 2002.
3. अनुमोदित आरेखण की तीन प्रतियाँ ।
   Three copies of the approved drawings.
4. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर द्वारा अनुमोदित सक्षम व्यक्ति व्दारा जारी पेट्रोलियम नियम 2002 (संलग्न) के अंतर्गत नियम 130 और 126 में आवश्यक सेफ्टी और टैंक टेस्ट प्रमाण-पत्र
   जो कि संगठन की वेबसाइट http://peso.gov.in पर "सक्षम व्यक्ति" ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से बनाया गया हो ।
   Safety and Test Certificate as required under rule 130 and 126 of the Petroleum Rules, 2002 (enclosed) issued by Competent person approved by CCE, Nagpur and generated through On-line Competent Person Module available at http://Peso.gov.in
5. जिला प्राधिकारी से प्राप्त 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' की मूल प्रति तथा उनके व्दारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं कार्यालय की मोहर लगा हुआ साईट प्लान् ।
   Original copy of ' No Objection Certificate' from the District Authority together with site plan duly endorsed by him with his office seal thereon.
6. इस कार्यालय से होनेवाले पत्राचार पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति(यों) के नमूना हस्ताक्षर ।
   Specimen signature(s) of the person(s) authorised to sign the correspondence addressed to this office.
7. अनुमोदित प्लान के अनुसार कार्य के पूर्णता की पुष्टि ।
   A confirmation to the effect that all work as per approved drawings has been fully completed by you in all respects.
8. विभिन्न कोणो से लिए गए पेट्रोल पम्प के रंगीन फोटोग्राफ का एक सेट ।
   One set of colour photographs of the petrol pump taken from different angles.

जी.एस.आर. 519(ई) दिनांक 05/06/2000 द्वारा भारत सरकार, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आदेश 2000 के 'सॉलवेन्ट, रैफिनेट तथा स्लॉप (अधिग्रहण, बिक्री, भंडारण और ऑटोमोबाइल में उपयोग की रोकथाम) आवश्यकता/प्रावधान का कृपया पालन करें ।

Please follow the requirement/provision of " Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage & Prevention of use in Automobiles)" Order 2000 notified by Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas vide G.S.R. 519(E) dated 05/06/2000.

कृपया भविष्य में अपने सभी पत्राचार में इस कार्यालय की फ़ाइल संख्या **A/P/CB/MP/14/10710 (P519426)** का संदर्भ दे ।

Please quote this office file No. **A/P/CB/MP/14/10710 (P519426)** in all your future correspondences.

फिर भी, यह अनुमोदन/अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति/क्लीयरन्स प्राप्त करने से या यथा लागू अन्यभ विधियों से छूट नही देती है ।

This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

भवदीय /Yours faithfully,

((डा. एम.आइ.ज़ेड.अन्सारी)
(Dr. M.I.Z.Ansari))
संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
Jt. Chief Controller of Explosives
भोपाल/Bhopal

Scanned with CamScanner

(अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए हमारी वेबसाइट : http://peso.gov.in देखें)

(For more information regarding status,fees and other details please visit our website: http://peso.gov.in)

Note:-This is system generated document does not require signature.

Disclaimer : This page gives the latest action taken by this organization on your application. This page is made available for the information of concerned applicant/licensee only. All efforts have been made to secure this information. However, PESO will not be responsible for any misuse of the information by unauthorized persons including the hackers.

Scanned with CamScanner

ONE YEAR OLD GOOGE EARTH IMAGES

SITE NAME- MUNGAOLI (MPF259)
VILLAGE-KASBARENJ,
TEHSIL-MUNGAOLI,
DIST-ASHOK NAGAR

Scanned with CamScanner

Annexure-IX

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, संभाग-अशोकनगर

Website : www.mppwd.gov.in E-mail : eepwdashmp@nic.in

क्रमांक 1227 /तक./2022 अशोकनगर दिनांक 20.05.2022

प्रति,

श्री सोहिब खान
पुत्र श्री अजीज खान
निवासी मुंगावली

विषय :- अनापत्ति प्रमाण पत्र में संशोधन करने बावत्।

संदर्भ :- 1-इस कर्यालय का पत्र क्र.3192/तक/2021-22 अशोकनगर दि. 23.12.2021
2-आपका आवेदन पत्र दिनांक 27.04.2022
3-एमपीआरडीसी ग्वालियर की अनापत्ति दिनांक 14.12.2021
4-राष्ट्रीय राजमार्ग ग्वालियर की अनापत्ति दिनांक 10.05.2022
5-उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय गुना,शिवपुरी,अशोकनगर का पत्र क्र. 874/डी-10/अशोकनगर/नग्रानि/2021 गुना दिनांक 07.12.2021
6-आपका आवेदन पत्र दिनांक 20.05.2022

----------------X----------------

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि पूर्व में संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से रिलायंस बी.पी. मोबिलिटी लिमिटेड भोपाल द्वारा भूमि सर्वे खसरा नं. 416/1 मिन 1/2, मिन-3, 435/3 मिन 1 ग्राम कस्बारेंज तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर में डीजल पेट्रोल रिटेल आउटलेट जिला अशोकनगर पर स्थित भूमि का अनापत्ति प्रमाणीकरण चाहा गया जिसमें लेख किया गया था कि उक्त मार्ग राष्ट्रीय राज्यमार्ग की श्रेणी में आता है एवं अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग मुंगावली की टीप अनुसार मार्ग के मध्य भाग से दोनों तरफ 40 मीटर छोड़कर निर्माण कार्य किया जा सकता है। यदि मार्ग के मध्य भाग से 40 मीटर के अंदर निर्माण किया जाता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

इसके उपरांत आपके द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 06 के माध्यम से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र देने हेतु आवेदन किया गया है। तत्संबंध में संदर्भित पत्र क्र. 03 से एम.पी.आर.डी.सी. एवं 04 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त मार्ग उनके कार्यक्षेत्र अंतर्गत नहीं है एवं संदर्भित पत्र क्र. 05 के माध्यम से नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा मार्ग के मध्य से 15 मीटर छोड़कर निर्माण कार्य की अनुमति दी गई है। उक्त मार्ग पूर्व से नगरीय क्षेत्र का मार्ग रहा है जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा बिना किसी भू-अर्जन किये मार्ग का निर्माण कराया गया है। भविष्य में जनहित में सड़क किसी भी विभाग द्वारा चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण किया जाता है तब ऐसी स्थिति में शासकीय भूमि के अतिरिक्त अशासकीय भूमि का मुआवजा देकर निर्माण कराया जा सकता है।

अतः पूर्व में दी गई अनापत्ति को निरस्त करते हुये नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा दी गई अनुमति पर विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि. संभाग अशोकनगर

पृ. क्रमांक / तक/ 2022 अशोकनगर दिनांक

प्रतिलिपि :-

अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग मुंगावली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/-
कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि. संभाग अशोकनगर

E:\Technical Section - Letter - GEN (Devendra) - 2022 D.K. 111

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner